


20.05-25

पत्रावली पेश हुई। वकील अभयपद्म उप०। मूल नद में प्रतिवादी का प्र० फा 0-7 R-11 CPC स्वीकार किया जाकर वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। इस यद् प्र० फा कोमिपहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरीब तकमील होकर दायिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर छुटे न्यायालय में मुनाया गया।


20.05.25
(किरण पाल)
R.A.S.